(5)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— प्रतिभा देवठिया आर.ए.एस.

निगरानी सं. 41/2021

दलीप सिंह पुत्र रूप सिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 02 लोंगवाला तह0 पीलीबंगा

निगरानीकर्ता

बनाम

ग्राम पंचायत लोंगवाला पंचायत समिति पीलीबंगा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लोंगवाला तह0 पीलीबंगा।

अप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधि0 विरूद्ध आदेश/नोटिस क्रमांक 99 दिनांक 27.9.2021 जिसके अंतर्गत कथित रूप से वार्ड नं0 04 ग्राम लोंगवाला में रास्ते व पंचायत की खाली भूमि में प्रार्थी द्वारा दीवार एवं मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये होने का नोटिस दिया गया। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त नोटिस/आदेश व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना पत्र।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

उपस्थितः— 1. श्री प्रदुमन परमार अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री दलीपसिंह चौहान अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः — 08.02.2022

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस प्रकार है कि प्रार्थी गांव लोंगवाला के वार्ड नं0 02 का पुराना निवासी है। गांव लोंगवाला में प्रार्थी के पिता के नाम से कस्टोडियन विभाग द्वारा पट्टा जारी किया गया था, जो प्रार्थी से पट्टा गुम हो गया है। लेकिन उसकी रसीद दिनांक 10.03.1961 राशि 225/—रूपये में भूखण्ड आंवटित किया गया है। इस भूखण्ड पर प्रार्थी पुख्ता निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है। रसीद की फोटो प्रति व ग्राम पंचायत का नक्शा संलग्न निगरानी प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता को कस्टोडियन विभाग द्वारा उक्त भूखण्ड आंवटित है तथा पुरानी आबादी में स्थित है, जिसमें किसी प्रकार की गली स्वीकृत नहीं है व ना ही नक्शा में दर्शित है। आवंटित के अनुसार उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पिता के आधिपत्य व धारण में रहा है व उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 99 दिनांक 27.0.2021 प्रेषित करते हुए वार्ड नं0 04 ग्राम लोंगवाला में प्रार्थी द्वारा आम रास्ते व ग्राम पंचायत की खाली भूमि में दीवार व मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने व आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न होने व ग्राम में लोग शांति भंग होने की संभावना बन जाने के कथन किये गये है। जबकि ऐसा कोई अतिक्रमण प्रार्थी का नहीं है। प्रार्थी ने उक्त नोटिस के संबंध में दिनांक 29.09.2021 को जवाब नोटिस प्रेषित किया गया। जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी के भूखण्ड में जो अतिक्रमण बताया जा रहा है, वह भूमि प्रार्थी के पूर्वजों का बना हुआ है। कस्टोडियन का पटटा बना हुआ है व पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी को वर्तमान सरपंच द्वारा चुनावी रंजिशवश मिथ्या नोटिस प्रेषित किया गया है व तंग परेशान करने के आशय से यह नोटिस दिया गया है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में ग्राम पंचायत के पंच, उपसरपंच, अन्य सरदस्यगण व प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी पीलीबंगा को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि प्रार्थी के भूखंड में से किसी प्रकार की आम गली स्वीकृत नहीं है व कोलोनाईजेशन कमिश्नर आईजीएनपी भाखड़ा द्वारा आदेश क्रमांक 3901 दिनांक 03.09.1963 द्वारा बनाया हुआ पुरानी आबादी भूमि का नक्शे में

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

किसी प्रकार प्रकार का कोई रास्ता प्रार्थी के भूखड में स्वीकृत नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से वार्ड नं0 04 ग्राम लोंगवाला में रास्ते व पंचायत की खाली भूमि में प्रार्थी द्वारा दीवार एवं मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये होने का नोटिस दिया गया है। जो कतई गलत–विधि विरूद्ध व पक्षपातपूर्ण है। इस नोटिस/आदेश को चुनौती देते हुए प्रार्थी यह निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। अप्रार्थी द्वारा जारी आदेश /नोटिस कमांक 99 दिनांक 27.09.2021 कतई गलत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत व मनमाना तथा अनुचित है। अप्रार्थी ने पंचायत अभिलेख की स्थिति के अनुसार मौका पर कोई जांच नहीं की, अपितु चुनावी रंजिशवश कथित रूप से प्रार्थी का अतिक्रमण मानते हुए प्रश्नगत नोटिस दिया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता आम व पंचायत की भूमि के किसी भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बलपूर्वक पंचायत अभिलेख के विपरीत जाकर प्रार्थी द्वारा निर्मित दीवार को ध्वस्त कर दिया है तथा अब अप्रार्थी के स्वामित्व शुदा भूखण्ड के निर्माण को भी ध्वस्त करने हेतु प्रयासरत है। अप्रार्थी की यह कार्यवाही कतई गलत व विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत गली व पचांयत की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति को ज्ञात करने हेतु पंचायत अभिलेख की कोई जांच नहीं की व मनमाना रूप से प्रार्थी का गली व पचायत की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए कार्यवाही करते हुए आक्षेपित आदेश/नोटिस गलत व मनमाना तौर पर जारी किया गया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकर फरमाया जाकर अप्रार्थी के आदेश/नोटिस कमांक 99 दिनांक 27.09.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये प्रार्थी का प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकर किया जाकर अप्रार्थी के आदेश/नोटिस कमांक 99 दिनांक 27.09.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब/लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी निगरानीकर्ता को ग्राम पचांयत की ओर से दिया गया नोटिस कमांक 99 दिनांक 27.9.2021 विधि सम्मत है। प्रार्थी गांव लोंगवाला का रहने वाला है। लेकिन उसके पिता के नाम से कोई कस्टोडियन पटटा जारी नहीं है तथा ना ही इस प्रकार का कोई पटटा निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी ग्राम पंचायत को प्रस्तुत नहीं किया है। रसीद किसी प्रकार से साबित नहीं करती कि रसीद इसी भूखण्ड की है तथा रसीद की फोटोप्रति पेश की है, उसकी भी वैधता संदिग्ध है। जब पटटा ही प्रस्तुत नहीं किया गया है तो यह साबित कैसे होगा कि किसी प्रकार की गली इनके भूखण्ड के चिपते नहीं है और ना ही ऐसा कोई नक्शें में दर्शाया गया है। विवादित भूखण्ड का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अतिक्रमण करने पर ही पंचायत की खाली भूमि पर दीवार का निर्माण कर अतिक्रमण किया था। जिससे आमजन को आवागमन में बाधाकारित होती थी। इसलिये ग्रामवासियों के प्रार्थना पत्र पर उक्त अतिक्रमण हटाया गया था। जो नक्शा दर्शाया गया है, उसमें इस भूखण्ड का कही हवाला नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा पंचायत की खाली पडी भूमि पर कब्जा कर आमजन के लिए आवागमन में बाधाकारित की है। उसका नोटिस दिया जाना किसी भी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है। क्योंकि निगरानीकर्ता स्पष्ट रूप से अतिक्रमी है। अतिक्रमी किसी भी प्रकार की न्यायालय से सहानूभूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण किया हुआ है। निगरानीकर्ता ने अपने जवाब के साथ कोई पटटा प्रस्तुत नहीं किया है। यदि उसके पास रसीद है तो उसका पटटा भी पेश करे। रसीद से यह साबित नहीं होता हो कि यह रसीद उसी भूखण्ड की है। जो नक्शा पेश किया है, उससे इस भूखण्ड में कोई सहायता नहीं मिलती। निगरानीकर्ता इस नक्शे की आड़ में अपने नाजायज अतिक्रमण को सही ठहराने की जुगत में लगा हुआ है। ग्राम पचांयत ने ग्राम के नक्शे का गुगल मेप भी पेश किया है। गुगल मेप में भी निगरानीकर्ता का अतिक्रमण स्पष्ट जाहिर हो रहा है। ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्ता को विधि सम्मत

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नोटिस जारी कर निगरानीकर्ता को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूरा अवसर दिया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर निगरानीकर्ता को अतिक्रमी मानते हुए नोटिस जारी कर पुलिस सहायता से अतिकमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है जो किसी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं। ग्राम पंचायत का दायित्व है कि वह नाजायज अतिक्रमण को रोके व आमजन की सुविधा हेतु गली व आम रास्तों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्यवाही करें। यह ग्राम पंचायत का विधिक दायित्व भी है। ग्राम पचांयत की ओर से मौखिक बहस का अधिकार सुरक्षित रखते हुए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस जवाब सेवा में प्रस्तुत है। इस प्रकार अप्रार्थी बहस में निवेदन किया गया कि निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। ग्राम पचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी (निगरानीकर्ता) के पास पट्टा नहीं है, प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा प्रार्थी (निगरानीकर्ता) के पिता के नाम से कस्टोडियन विभाग से जारी रसीद पेश की है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी (निगरानीकर्ता) उस ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी है। प्रार्थी (निगरानीकर्ता) का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा प्रश्नगत गली व पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति का ज्ञात करने हेतु प्रकरण को ग्राम पंचायत लोंगवाला, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जाना उचित है।

अतः प्रकरण ग्राम पंचायत लोंगवाला, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा जारी नोटिस/अस्थाई निषेधाज्ञा क्रमांक 99 दिनांक 27.09.2021 को निरस्त कर ग्राम पंचायत लोंगवाला, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि **प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, जिला परिषद हनुमानगढ** से टीम का गठन करवाकर प्रश्नगत भूमि की जगह का भौतिक निरीक्षण उभय पक्षों की उपस्थिति में किया जावे व उभय पक्षों का पक्ष सुनकर व लिखित साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित ग्राम पंचायत लोंगवाला, पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ को रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक .....को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 08.08.2022

(प्रतिभा देवठिया)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)